भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2815
जिसका उत्तर गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की कमी

2815 श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संस्वीकृत संख्या और वास्तविक संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) रिक्तियों सहित जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने न्यायिक रिक्ति संकट के प्रभावों को कम करने के लिए वैकल्पिक उपायों जैसे प्रति न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने अथवा मामला प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने पर विचार किया है और न्यायालयों में न्यायाधाशों की संख्या का निर्धारण करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या और कार्यरत पदसंख्या **उपाबंध-1** पर है। जिला न्यायालयों में स्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्तियां राज्य-वार **उपाबंध-2** पर है।

03.08.2019 से प्रभावी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत पदसंख्या 30 से बढ़ाकर 33 (सीजेआई के सिवाय) कर दी गई है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की पदसंख्या 2014 में 906 से बढ़ाकर आज तारीख तक 1122 हो गई है।

न्यायालयों में मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर आता है। मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें अन्य बातों के साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की उपलब्धता, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ-वर्ग, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादकारियों का सहयोग और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग और बार-बार स्थगन भी है। न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितकी प्रणाली का उपबंध करने के लिए सरकार ने कई पहल की है। न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन ने विभिन्न राजनीतिक पहलों के माध्यम से न्यायिक प्रशासन के बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध परिसमापन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार, बेहतर न्याय वितरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के

रिक्त पदों को भरना भी है।

****

उपाबंध-1

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संस्वीकृत पदसंख्या और कार्यरत पदसंख्या (30.09.2024 तक):

क्र. सं.	उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पदसंख्या
	उच्चतम न्यायालय	34	33
1	इलाहाबाद	160	84
2	आंध्र प्रदेश	37	26
3	बॉम्बे	94	64
4	कलकत्ता	72	44
5	छत्तीसगढ़	22	17
6	दिल्ली	60	37
7	गुवाहाटी	30	24
8	गुजरात	52	29
9	हिमाचल प्रदेश	17	12
10	जम्मू - कश्मीर तथा लद्दाख	25	15
11	झारखंड	25	19
12	कर्नाटक	62	50
13	केरल	47	40
14	मध्य प्रदेश	53	35
15	मद्रास	75	66
16	मणिपुर	5	4
17	मेघालय	4	3
18	उड़ीसा	33	20
19	पटना	53	33
20	पंजाब और हरियाणा	85	54
21	राजस्थान	50	33
22	सिक्किम	3	3
23	तेलंगाना	42	27
24	त्रिपुरा	5	5
25	उत्तराखंड	11	7

उपाबंध-2

जिला और अधीनस्थ न्यायालय में संस्वीकृत पदसंख्या, कार्यरत पदसंख्या और रिक्ति विवरण (30.09.2024 तक)

क्र. सं.	राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र	कुल स्वीकृत पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल रिक्ति
1.	आंध्र प्रदेश	618	560	58
2.	अरूणाचल प्रदेश	44	33	11
3.	असम	485	461	24
4.	बिहार	2019	1536	483
5.	चंडीगढ़	30	30	0
6.	छत्तीसगढ़	663	465	198
7.	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
8.	दमण और दीव	4	4	0
9.	दिल्ली	897	803	94
10.	गोवा	50	40	10
11.	गुजरात	1720	1185	535
12.	हरियाणा	773	555	218
13.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
14.	जम्मू - कश्मीर	322	273	49
15.	झारखंड	705	506	199
16.	कर्नाटक	1375	1125	250
17.	केरल	610	539	71
18.	लद्दाख	17	11	6
19.	लक्षद्वीप	4	4	0
20.	मध्य प्रदेश	2028	1697	331
21.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
22.	मणिपुर	62	49	13
23.	मेघालय	99	56	43
24.	मिजोरम	74	45	29
25.	नागालैण्ड	34	24	10
26.	ओडिशा	1041	843	198
27.	पुडुचेरी	36	26	10
28.	पंजाब	804	723	81
29.	राजस्थान	1641	1315	326
30.	सिक्किम	35	23	12
31.	तमिलनाडु	1369	1023	346
32.	तेलंगाना	560	445	115
33.	त्रिपुरा	133	109	24
34.	उत्तर प्रदेश	3698	2717	981
35.	उत्तराखंड	298	270	28
36.	अंदमान और निकोबार			
37.	पश्चिमी बंगाल	1105	875	230

स्रोत: - न्याय विभाग के एमआईएस पोर्टल।

***संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप तथा पश्चिमी बंगाल की संयुक्त रिक्तियां, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के समक्ष दर्शाया गया है।**

****